



संख्या 535/54/10/12-13  
दिनांक 26-12-11  
स्वीकृत  
आचार्य

आचार्य  
आचार्य  
आचार्य

नियम - नियमों के अनुसार सुदृष्टित रूप  
वातावरण को बनाए रखना

पर्यावरण की दृष्टि से राज्य वन निधि  
अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम  
15% पेड़ लगाना अनिवार्य है।  
समस्त प्रकार के मत्स्य / सुन्दर को सुरक्षा हेतु  
विभिन्न स्तरों पर समस्त वनस्पतियों के ऊपर  
आवृत्तियों के तहत वन जलना उचित / आवश्यक  
है जो उद्योगों/लेवल सिस्टम प्रत्येक छत  
के नीचे बाले जायें।

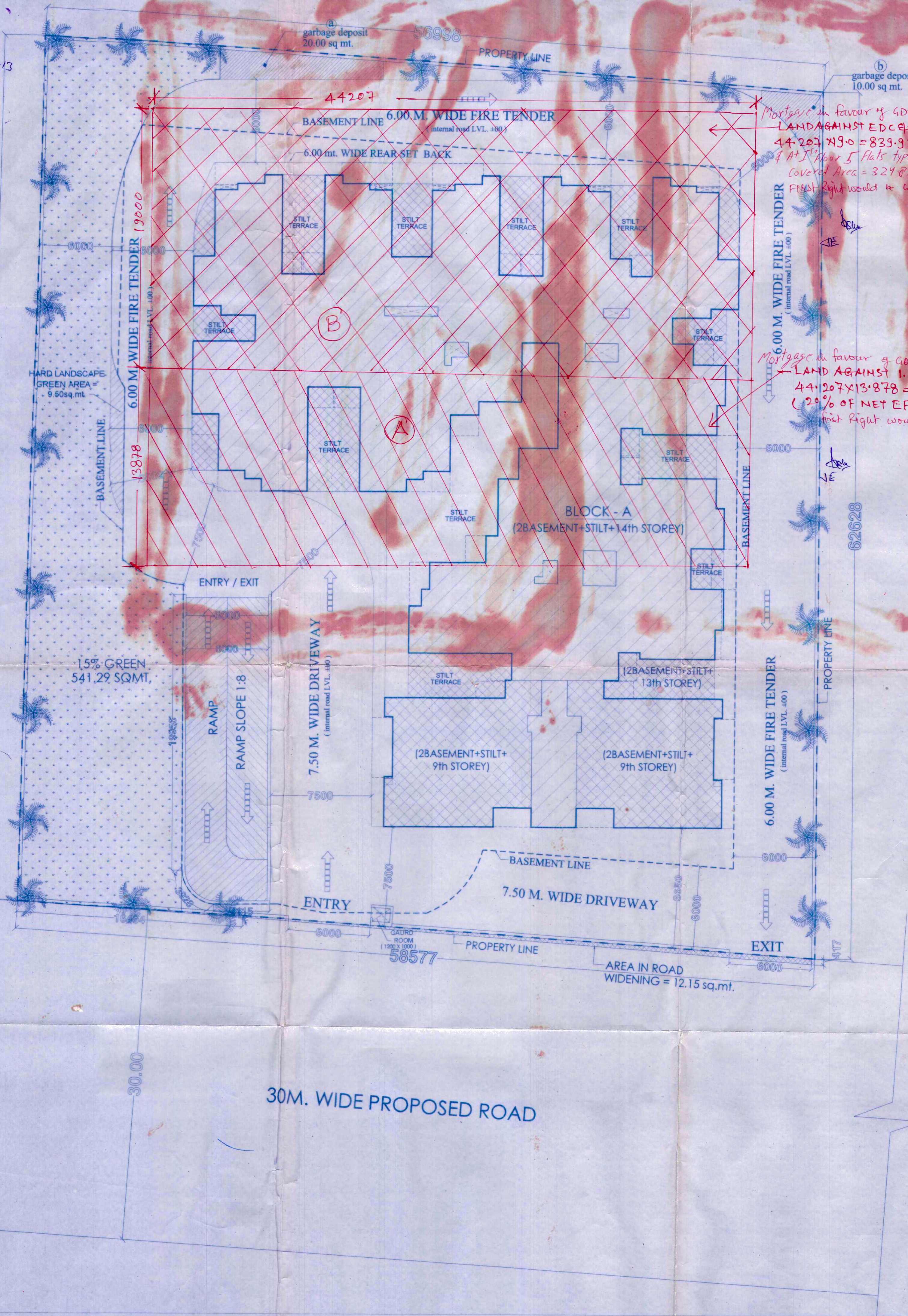
यह मानचित्र स्वीकृति से केवल गैर वन क्षेत्र है।

मानचित्र स्वीकृत पत्र पर अंकित शर्तों के  
अधीन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

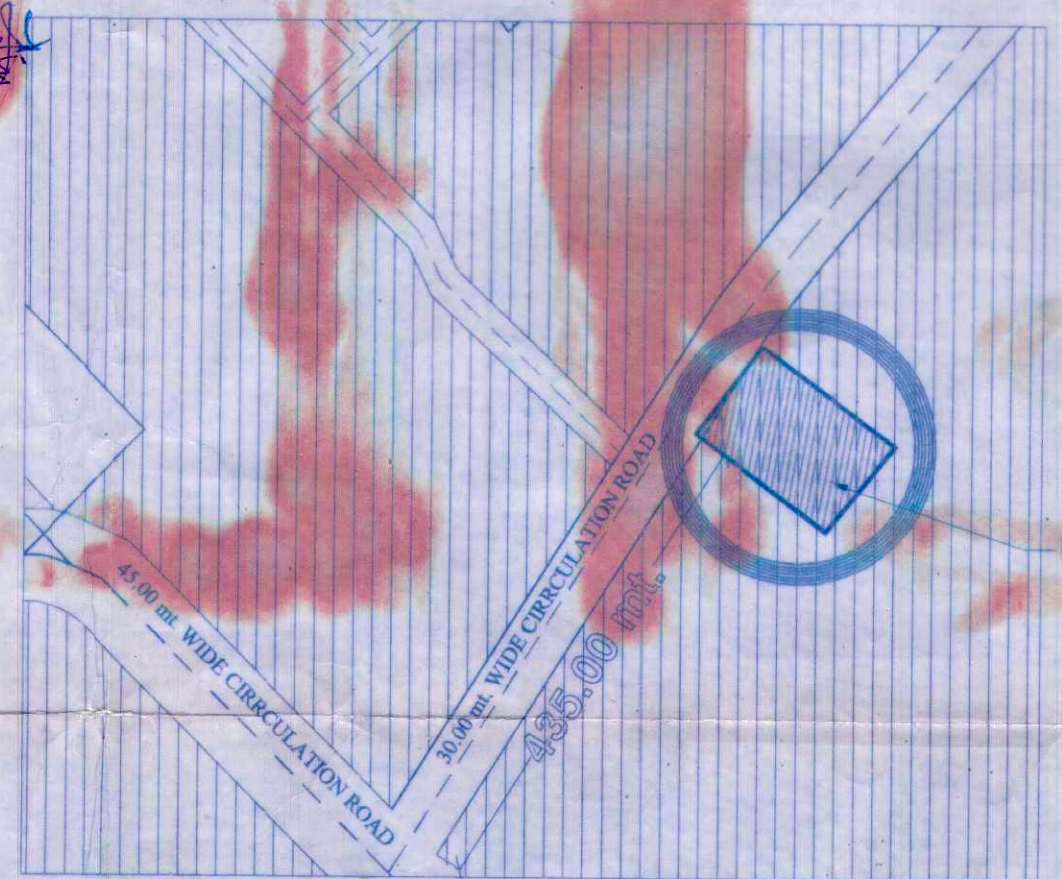
स्थल पर एक बार पर स्वीकृत मानचित्र को  
संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

स्वातंत्र्य सम्पत्ती किसी भी विवाद  
की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति  
रद्द, निरस्त समझी जायेगी।

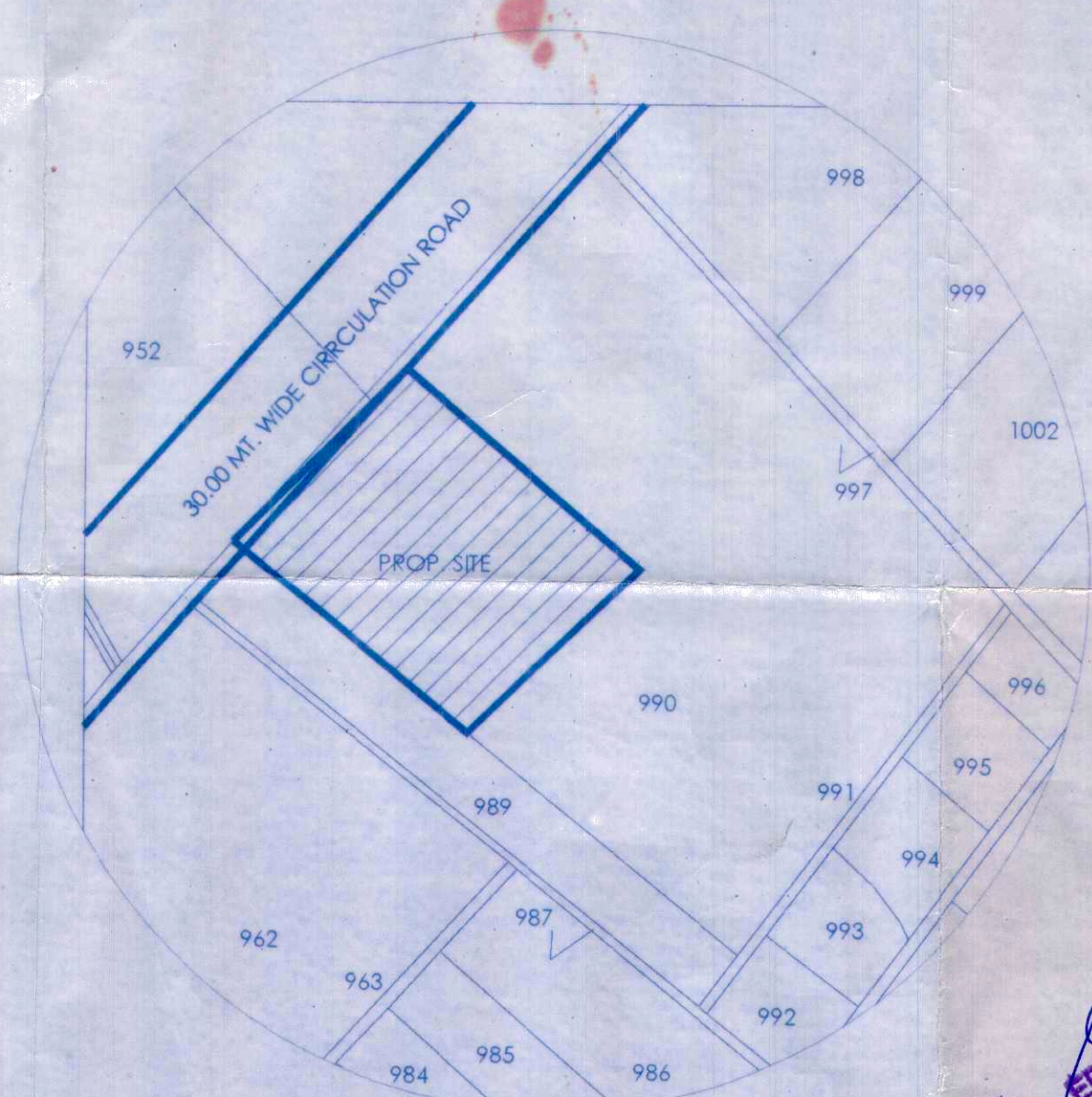
62541



SITE SUPERIMPOSED ON MASTER PLAN



SITE SUPERIMPOSED ON ZONAL PLAN



KHASRA PLAN

SITE PLAN

|     |    |   |
|-----|----|---|
| SNO | 1  | T |
|     | 2  | L |
|     | 3  | P |
|     | 4  | 1 |
|     | 5  | P |
|     | 6  | P |
|     | 7  | S |
|     | 8  |   |
|     | 9  |   |
|     | 10 |   |
|     | 11 | P |
|     | 12 | P |
|     | 13 | F |
|     | 14 |   |

ER-SADA  
N